**झारखण्ड सरकार**
**उद्योग विभाग**

**संकल्प**

**विषय :– झारखण्ड राज्य के युवक/युवतियों के Employment oriented vocational training हेतु निर्माण उद्योग विकास परिषद (CIDC) नई दिल्ली के साथ तीन वर्षीय एकरारनामा नॉमिनेशन के आधार पर वित्त नियमावली के नियम 235 एवं 245 के क्रम में करने के संबंध में।**

उद्योग विभाग के संलेख ज्ञापांक –2031 दिनांक 08.07.2013 में परामर्शी परिषद की दिनांक 09. 07.2013 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या 05 के रूप में दी गई स्वीकृति के आलोक में निम्न निर्णय लिया गया :

1. झारखण्ड राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों के Employment oriented vocational training कर निर्माण क्षेत्र में उच्च मासिक पारिश्रमिकी पर कार्य करने योग्य बनाने हेतु निर्माण उद्योग विकास परिषद (CIDC) नई दिल्ली के साथ एकरारनामा नॉमिनेशन के आधार पर बिहार/झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 एवं 245 के क्रम में करने को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (i) निर्माण उद्योग विकास परिषद (CIDC) नई दिल्ली योजना आयोग भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1996 में की गई है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस परिषद के Patron होते है। यह Society Registration Act के अंतर्गत दिनांक 07.03.1996 को निबंधित सोसाइटी है। यह एक इस क्षेत्र में Public Policy निर्माण से कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

(ii) CIDC द्वारा लगभग 47 ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके साथ ही साथ सभी प्रशिक्षित से कम से कम 75% को 6 माह का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। यह नियमित एवं संस्थागत दीर्घकालिक भी होगा। CIDC द्वारा प्रशिक्षण हेतु सूचीवद्ध ट्रेडों की विवरणी परिशिष्ट "**क**" पर द्रष्टव्य।

(iii) CIDC तदनुसार ट्रेडवार Manpower के reasonable use का ब्यौरा, आवश्यकतानुसार ट्रेड में लाभुक चयन हेतु सहयोग करेगा।

3. (i) यह एकरारनामा तीन वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 के लिए उद्योग निदेशक द्वारा राज्य सरकार की तरफ से किया जायेगा तथा CIDC द्वारा उनके DG द्वारा हस्ताक्षरित होगा। इसके तहत् प्रतिवर्ष 5000 लाभूकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। कुल 15000 लाभूक तीन वर्ष में प्रशिक्षित किया जायेगा।

(ii) विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों से मांग के अनुरूप इस संख्या को दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

(iii) लाभुक प्रयोजक विभाग/निकाय (Sponsoring agency) प्रचलित दर पर वित्तीय व्यय वहन करेगा।

4 राज्य में औद्योगिकीकरण एवं नव निर्माण के कारण निर्माण कार्य वार्षिक रूप से हजारों करोड़ मूल्य का होता है। प्रति एक करोड़ के निर्माण कार्य में अनुमानित 80% Civil Work, 20% PHED एवं Electrical Work होता है जिसमें प्रशिक्षित विभिन्न श्रेणी के निम्न है :–

(i) मेशन – 5000

(ii) कारपेण्टर – 900

(iii) प्लम्बर – 854

(iv) इलेक्ट्रिशियन– 427

(v) हेल्पर/मजदूर– 16–17 हजार

(vi) पेण्टर/ट्राइलर/स्टोन कटर/कंकरीट मिक्चर ऑपरेटर इत्यादि की आवश्यकता होगा। उक्त की प्रतिपूर्ति प्रशिक्षण के कम में होगी जिससे गुणवत्तापूर्ण कार्य, श्रमिक सुरक्षा, उत्पादकता तथा मूल्य में वृद्धि होगी।

(vii) इस तरह राज्य में प्रति वर्ष अगर 300 दिन प्रत्येक प्रशिक्षित को काम देना है तथा एक हजार करोड़ का ही वार्षिक कार्य हो तो लगभग मैशन 18000 कारपेण्टर 3000 प्लम्बर 3000 तथा इलेक्ट्रीशियन 1500 की जरूरत होगी। यह लगभग 25000 मानव शक्ति प्रतिवर्ष /1000 करोड निर्माण के कम में आवश्यकता होगी। अन्य activities में भी मानव शक्ति आवश्यक होगा।

5 **लाभुक चयन प्रकिया**

(i) लाभुक का चयन संबंधित जिलों के उपायुक्त कर सकेंगे एवं उसे राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित करेंगे। DC - IAP के तहत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से अवश्य लाभुक को sponsor करेंगे।

(ii) Sponsoring deptt./ निकाय लाभुक चयन कर सकेंगे।

(iii) औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अपने Sponsor युवक/युवतियों का चयन कर सकेंगे।

(iv) निदेशक, उद्योग राज्य स्तरीय लाभुक चयन समिति की अध्यक्षता करेगा जिसके sponsor agency के पदाधिकारी सदस्य तथा CIDC प्रतिनिधि नामित सदस्य, प्राचार्य, टूलरूम, राँची सदस्य सचिव रहेगा।

(v) समिति यथासम्भव urban / rural area के लाभुकों का मिश्रित चयन को महत्व देंगे ताकि सभी जगह प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध हो।

(vi) User Deptt. को ससमय नाम प्रेषण के साथ DD / Cheque समतुल्य प्रशिक्षण राशि का भी देना होगा। राशि पूर्णतः स्थानान्तरण सुनिश्चित होने पर ही प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा।

(vii) यथासम्भव आरक्षण नियमों का पालन एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। Sponsored deptt. लाभुक चयन में स्वतः आरक्षण इत्यादि का अनुपालन करेंगे।

(viii) एक continiuous candidates का flow रहे ताकि प्रशिक्षण regular रहे, लाभुक चयन कर website पर Batch / location वार, नाम, प्रशिक्षण तिथि सहित स्पष्ट ब्यौरा संसूचित रखा जाय।

(ix) अन्य विभाग/बोर्ड/निगम/विभिन्न Govt. sponsored programme भी लाभुक को प्रशिक्षण हेतु अग्रसारित कर सकेंगे।

(x) राज्य स्तरीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

6. **प्रशिक्षित के नियोजनः**

(क) संबंधित कार्य विभाग/बोर्ड– निगम– राज्य सहायता प्राप्त निबंधित संस्था/राज्य की अधीन कार्यरत निबंधित संस्थान अपने निर्माण कार्यो में प्रशिक्षित को कार्य में लगाने के लिए उपलब्धता के अनुरूप ठेकेदारों को निर्देश देंगे एवं Tender condition में इस शर्त का उल्लेख करेंगे।

(ख) भवन निर्माण विभाग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यो की अधिकता को देखते हुए project क्षेत्रों से आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षु चयन एवं उनके employment में मदद करेगा।

(ग) नगर निगम/ नगरपालिका/ मार्केटिंगबोर्ड/ जिडको/ औद्योगिक प्राधिकार/ झारकाफ्ट / पर्यटन निगम इत्यादि employment ensure करायेंगे।

7. **प्रशिक्षण वित्तीय प्रबंधनः**

**(i)** एक corpus revolving fund बनाया जायेगा जो संयुक्त रूप से निदेशक, उद्योग तथा प्राचार्य, टूलरूम, राँची द्वारा संचालित होगा।

**(ii)** इस corpus fund में JIP 2012 के क्रम में सभी औद्योगिक विकास प्राधिकार– SPIADA को छोड़कर 25.00 लाख रूपये contribute करेंगे जिससे AIADA, BIADA, RIADA का contribution रू0 75.00 लाख होगा तथा जिडको रू0 25.00 लाख contribute करेगा। इस तरह प्रारम्भिक corpus रू0 100.00 लाख होगा। यह इन संस्था के CSR का अंग भी रहेगा। इसके द्वारा Contributed राशि उनके sponsor candidates के विरूद्ध adjust की जायेगी।

**(iii)** श्रमायुक्त के अधीन कार्यरत Building and other construction in Workers welfare Board के अधीन 82.00 करोड़ है, वह workers का skill upgradation में खर्च कर सकेगा। यह बोर्ड लाभुक का चयन कर, निर्धारित दर पर CIDC से प्रशिक्षण करा सकेगा।

**(iv)** ऐसे संस्था कण्डिका 7 (ii) अथवा सीधे भी CIDC से समन्वय कर सकेगा एवं निर्धारित दर पर प्रशिक्षण आयोजित कर सकेगा।

**(v)** किसी सरकारी विभाग को GOI से प्राप्त fund के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर Building and other construction in workers welfare Board से dovetail कर सकेगा।

**(vi)** प्रशिक्षण हेतु अन्य विभाग/प्राधिकार/निदेशालय/योजना प्रभारी इत्यादि लाभुक के साथ वित्तीय संशाधन निर्धारित दर पर उपलब्ध करायेंगे।

**(vii)** संबंधित Sponsoring संस्था–GOI- Skill development fund जो केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजना में उपलब्ध होगा, उसके अतिरिक्त राशि राज्य Skill development शीर्ष से dovetail कर दे सकेगा।

**(viii)** सभी स्त्रोत से प्राप्त राशि corpus fund में ही जमा होगी। इसका एक खाता Nationalised Bank में होगा। कैश बुक एवं संबंधित विभाग/sponsoring agencywise laser separate संधारित रहेगा।

8. **मोनेटरिंग एवं समन्वयः**

(क) इसकी मानेटरिंग तथा समन्वय "विकास आयुक्त" की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय skill development mission के अधीन होगा।

(ख) निदेशक, उद्योग इससे संबंधित सभी प्रतिवेदन Skilled Development mission के समक्ष एवं प्राधिकृत पदाधिकारी को भेजेंगे। यह मासिक एवं वार्षिक रहेगा।

(ग) अन्य विभागों से समन्वय/Construction इत्यादि से Trained manpower को लिंक करने में यह समिति मदद करेगा।

9. (क) इस गतिविधि की monitoring यथा online trained manpower का data एवं employment status इत्यादि का नियमित ब्यौरा संधारित रखा जायेगा। इस हेतु Project cost का 10% व्यय होगा जो CIDC को देने वाली राशि के अतिरिक्त होगा।

(ख) उक्त राशि corpus fund का हिस्सा रहेगी। Actual Exp. जो किया जायेगा जिसका ब्यौरा विधिवत संधारित किया जायेगा।

(ग) Monitoring शीर्ष की excess राशि प्रशिक्षण पर ही व्यय होगी।

10. (क) यह सम्भव है कि GOI की राशि विभिन्न skill development में adequate न हो, ऐसे में शेष राशि संबंधित प्रशासी विभाग अपने skill development राज्य की राशि से दे सकेगा।

(ख) राशि की व्यवस्था करना अनुशसा करने वाले संस्थान का दायित्व होगा।

(ग) विकास आयुक्त की अध्यक्षता की समिति इसके dovetail करने तथा अन्य fund से समायोजन करने का निर्णय ले सकेगी जो कण्डिका 09 में प्रस्तावित है।

11. (क) यह एक नई योजना है। इस योजना अन्तर्गत राशि का व्यय बजट शीर्ष 2851– ग्राम तथा लघु उद्योग – 102– लघु उद्योग– 58 – रोजगार हेतु कौशल विकास योजना – 06 – अनुदान – 79 – सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जाएगी। योजना का विपत्र कोड़ 23P285100102580679 है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस शीर्ष के अन्तर्गत कुल रूपये 5.00 करोड़ का उपबंध है, जिसमें से आवश्यकता के अनुसार राशि का व्यय किया जाएगा।

(ख) उद्योग विभाग/GM, DIC इत्यादि द्वारा Sponsored Candidates, उद्योग विभाग के अधीन कार्यरत संस्थाओं के भू–अर्जन इत्यादि के कम में आवश्यक स्थानीय Land-looser के प्रशिक्षण का व्यय वहन इस शीर्ष से संभव होगा।

(ग) बजट राशि तभी व्यय की जाएगी जब किसी genuine-legal source से राशि की व्यवस्था संभव नही होगी।

12. (क) इस प्रस्ताव के साथ agreement प्रारूप संलग्न है जिसमें विभिन्न course / courses का अवधि तथा fee structure संलग्न है। CIDC को नॉमिनेशन के आधार पर एकरारनामा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत चयनित किया जाय। यह भारत सरकार/योजना आयोग भारत से सम्बद्ध है एवं अन्य राज्यों में (उड़ीसा इत्यादि) में इसी पैटर्न पर एकरारनामा किया गया है। इसकी legal vetting विधि विभाग द्वारा की गई है। इस पर परामर्शी पर्षद की स्वीकृति प्राप्त है।

(ख) रू0 9000/माह [fooding-Lodging सहित/प्रशिक्षु] व्यय होगा जो CIDC को देय होगा (कण्डिका 5 एकरारनामा)।

(ग) course 2-3 माह के होंगे।

(घ) इस तरह रू0 900–1350 लाख प्रतिवर्ष के बीच 5000 प्रशिक्षु के प्रशिक्षण पर व्यय होगा।

(ड़) प्रति लाभुक प्रति माह वर्ष 2013–14 में प्रशासनिक व्यय जोड़कर रु0 9900/– व्यय होगा। यह राशि sponsor agency को निदेशक उद्योग के पदनाम से देनी होगी।

(च) Service tax उक्त के अतिरिक्त देय होगा।

(छ) The cost of training will be link with WPI for next year 2014-15 onwards होगी।

13. **रोजगार सृजन :**

(i) CIDC द्वारा प्रयास किया जायेगा कि 100% रोजगार सृनिश्चित कराया जाय। इसमें झारखण्ड सरकार के विभागों की भूमिका अहम होगी। यह कण्डिका 6 एवं 8 के अनुरूप किया जायेगा।

(ii) CIDC कम से कम 75% प्रशिक्षित लाभुक का 6 माह का रोजगार सुनिश्चित करायेगा। अगर 75% से कम रोजगार सुनिश्चित होने पर Pro rate basis पर payment किया जायेगा।

(iii) सभी प्रशिक्षण आवासीय होगा।

14. **विवाद निस्पादन :** (i) दोनों पक्षों में विवाद होने पर इसे आपसी विमर्श से समाधान का प्रयास किया जायेगा।

(ii) अगर किसी कारण उक्त सम्भव नहीं हुआ तो Arbitration से समाधान किया जायेगा। मुख्य सचिव, झारखण्ड Sole arbitrator होंगे।

(iii) उक्त के अतिरिक्त अन्य विवाद झारखण्ड न्यायालयों के अधीन निष्पादित किया जायेगा।

15. **CIDC को भुगतान :**

(क) प्रथम वर्ष 2013–14 में निम्न प्रकार निदेशक उद्योग द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(i) 15% अग्रिम भुगतान प्रोजेक्ट वैल्यू का भुगतान किया जायेगा।

(ii) 50% फीस का भुगतान प्रशिक्षु निबंधन की सम्पुष्टि प्रायोजित विभाग/निदेशक उद्योग द्वारा होने पर प्रशिक्षण प्रारम्भ के पूर्व किया जायेगा।

(iii) 25% फीस का भुगतान एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर किया जायेगा।

(iv) 10% फीस का भुगतान प्रशिक्षण पूर्ण तथा रोजगार प्राप्त होने पर किया जायेगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में भुगतान निम्न प्रकार होगा :–

(i) 50% फीस का भुगतान 15(क) कण्डिका (i) के अनुरूप होगा।

(ii) 40% फीस का भुगतान एक माह का प्रशिक्षक्षण पूर्ण होने पर देय होगा।

(iii) 10% फीस का भुगतान प्रशिक्षण पूर्ण तथा रोजगार प्राप्त होने पर किया जायेगा।

(ग) निदेशक उद्योग इसका अनुपालन करेगा तथा कण्डिका 8 एवं 9 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

16. प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना : CIDC द्वारा 3–4 प्रशिक्षण केन्द्र शीघ्र स्थापित किया जायेगा। राज्य सरकार स्थापित प्रावधान/प्रकिया के तहत ऐसे केन्द्रों हेतु सरकार भूखण्ड उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी।

17. निदेशक उद्योग इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। प्राचार्य टूल रूम, राँची योजना कार्यान्वयन में पूर्ण सहयोग करेंगे।

18. यह संकल्प योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के क्रम में परामर्शी पर्षद की स्वीकृति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है। एकरारनामा संकल्प का अंग रहेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

12/07/13
सरकार के सचिव
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 2074 /राँची, दिनांक 13/07/2013
03/उ0नि0 विविध(प्रशिक्षण) 11/2012

प्रतिलिपि :– सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड/ विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, झारखण्ड/ सभी आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ निदेशक, उद्योग/ निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखण्ड, राँची/सभी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड/ सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ सभी औद्योगिक विकास प्राधिकार/ सभी औद्योगिक संघ/ सभी उप उद्योग निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।

12/07/13
सरकार के सचिव
उद्योग विभाग

E:CIDC Sanlekh

ज्ञापांक 2074 /राँची, दिनांक 13/07/2013

03/उ0नि0 विविध(प्रशिक्षण) 11/2012

प्रतिलिपि :– महानिदेशक, निर्माण उद्योग विकास परिषद, (CIDC) नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/07/13
सरकार के सचिव
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 2074 /राँची, दिनांक 13/07/2013

03/उ0नि0 विविध(प्रशिक्षण) 11/2012

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, हीनू, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र पत्र की 200 प्रतियाँ उद्योग विभाग को उपलब्ध करायी जाये।

13/07/13
सरकार के सचिव
उद्योग विभाग